न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 08 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 18

हरपाल सिंह सुधन, वकील रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर

–अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक 05.11.2022 को सूचना हेतु आवेदन भिजवाया था जो दिनांक 09.11.2022 को उन्हें प्राप्त हो गया। जिनके द्वारा असद्भावनापूर्वक एवं जानबूझकर विनिर्दिष्ट समय 30 दिन के भीतर दिनांक 09.12.2022 तक न किये गये विनिश्चिय के विरूद्व अपलार्थी को विनिर्दिष्ट 30 दिन के भीतर उत्तर नहीं दिया जाने के आधार पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के अनिर्णय दिनांक 09.12.2022 को अपास्त कर अपीलार्थी का सूचना का अधिकार आवेदन दिनांक 05.11.2022 को स्वीकार किये जाने के आदेश पारित करने एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ पर विनिर्दिष्ट समय समाप्ति 09.12.2022 से सूचना जारी करने की तिथि तक प्रत्येक दिन के लिए 250 रूपये शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर प्रेषित टिप्पणी क्रमांक / आरटीआई / 2022 / 267 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हैं कि –

"आवेदक श्री हरपाल सिंह सुधन द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.11.2022 आप द्वारा जरिये पत्रांक–आर.टी.आई. / 334 / 2022 दिनांक 09.11.2022 कार्यालय हाजा को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांरित किया गया था। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किये गये आवेदन में निम्नानुसार सूचना चाही गयी –

उप अभिलेखागार(उपखण्ड अधिकारी) अनूपगढ़ के समक्ष जमा वर्ष 1988–1989 में प्रार्थी के पिता (अब स्वर्गवासी)महताब सिंह पुत्र लछमन सिंह कौम कश्मीरी ब्राहमण सिख सा. 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर द्वारा उन्हें अस्थाई काश्त पर आवंटित वाके ग्राम 19 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. पुराना 45 नया 43 (170 / 340) के कि. नं. 1 ता 25 की 23.10 बीघा नहरी भूमि के [illegible] आवेदन) की मय आवेदन समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible]

कार्यालय हाजा के पत्रांक / आर.टी.आई. [illegible] द्वारा निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया गया –

आप द्वारा किये गये आवेदन में आप द्वारा वांछित पत्रावली से संबंधित पूर्ण विवरण यथा प्रकरण संख्या, आवंटन दिनांक, आवंटन अधिकारी आदि [illegible] दिया गया है जिसके अभाव में आप द्वारा वांछित पत्रावली उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हैं। अतः आप द्वारा वांछित पत्रावली से संबंधित पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने पर आप द्वारा किये गये आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

कार्यालय हाजा के उक्त पत्र की पालना में आवेदक द्वारा कोई भी सूचना कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं करवायी गई हैं। आवेदक द्वारा दायर की गई प्रथम अपील खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।"

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.11.2022 को राज्य लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, कलैक्ट्रेट, श्री गंगानगर के द्वारा अपने पत्रांक/आरटीआई/334/2022/2963 दिनांक 09.11.2022 के द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2022 प्राप्ति दिनांक 09.11.2022 उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को हस्तांतरित करते हुए आवेदक हरपाल सिंह को पत्रांक/2964 दिनांक 09.11.2022 द्वारा सूचित किया।

आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी :–

"उप अभिलेखागार(उपखण्ड अधिकारी) अनूपगढ़ के समक्ष जमा वर्ष 1988–1989 में प्रार्थी के पिता (अब स्वर्गवासी)महताब सिंह पुत्र लछमन सिंह कौम कश्मीरी ब्राहमण सिख साकिन 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर द्वारा उन्हें अस्थाई काश्त पर आवंटित वाके ग्राम 19 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. पुराना 45 नया 43 (170/340) के कि.नं. 1 ता 25 की 23.10 बीघा नहरी भूमि के टी.सी. से पुख्ता आवंटन (भूमिहीन आवेदन) की मय आवेदन समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि।"

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा अपने पत्रांक/आर.टी.आई./2022/1220 दिनांक 05.12.2022 द्वारा आवेदन को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवायी गयी :–

आप द्वारा किये गये आवेदन में आप द्वारा वांछित पत्रावली से संबंधित पूर्ण विवरण यथा प्रकरण संख्या, आवंटन दिनांक, आवंटन अधिकारी आदि नहीं दिया गया है जिसके अभाव में आप द्वारा वांछित पत्रावली उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हैं। अतः आप द्वारा वांछित पत्रावली से संबंधित पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने पर आप द्वारा किये गये आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाते हुए सूचना नहीं दिए जाने का कारण उल्लखित किया गया हैं। आवेदक/अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियों की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सा[illegible] को खोजकर नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी [illegible] नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी [illegible] कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/नि[illegible] दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध [illegible] उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधित विशिटियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं, परन्तु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियों की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पर प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किये गये विनिश्चिय से सहमत हैं। प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:44 IST
Reason: SelfAttested